रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082020-221346 CG-DL-E-26082020-221346

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212] No. 212] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2020/भाद्र 4, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2020/BHADRA 4, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 25 अगस्त. 2020

- सं. यू. 12026/03/2015-एनई.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं.ए. 12078/आई/97-आरपीएनटीआई/20 दिनांक 6 फरवरी, 1997 के आंशिक अधिकरण में उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तशासी संस्थान, रीजनल इंस्ट्रीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल ऐंड नर्सिंग साइंसेज (आरआईपीएएनएस) आइजोल, मिजोरम में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-
 - (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों को रीजनल इंस्ट्रीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज (आरआईपीएएनएस), निदेशक का सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' पद, रीजनल इंस्ट्रीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग, भर्ती नियम, 2020 कहा जाएगा।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- **2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स या वेतनमान-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ(5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

3895 GI/2020 (1)

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शाक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

गायत्री मिश्रा, संयुक्त सचिव

अनुसूची रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज (आरआईपीएएनएस), आइजोल में निदेशक पद के भर्ती नियम

1.	पद का नाम	निदेशक
2.	पद संख्या	01 (एक) 2020
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' पद
4.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान	7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14+ यथास्वीकृत भत्ते (संशोधन-पूर्व वेतन पीबी-37400—67000/-रु. ग्रेड वेतन 10000/-रु.)
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	चयन
6.	आयु सीमा	उत्ततर आयुसीमा 60 वर्ष (सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है)
7.	शैक्षिक एवं अन्य अपेक्षित अर्हता	चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए
		1. चिकित्सा अर्हता को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II अथवा तीसरी अनुसूची के भाग ।। में शामिल किया गया है। (तृतीय अनुसूची के भाग - II में शामिल अर्हता वाले उम्मीदवार को भी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना चाहिए। 2. स्तानकोत्तर चिकित्सा अर्हता उदाहरणार्थ एमडी/एमएस/ एससीएच/डीएम अथवा इसके अतिरिक्त मान्यताप्राप्त समकक्ष अर्हता अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा उदाहरणार्थ डीपीएच/डीएमआरडी/डीसीपी अथवा इसके अतिरिक्त समकक्ष अर्हता 3. केंद्रीय / राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना चाहिए। अनुभव 20 (बीस) वर्षों का न्यूनतम शिक्षण / अनुसंधान अनुभव जिसमें से 15 (पंद्रह) वर्ष स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान का अनुभव होना चाहिए।

		गैर-चिकित्सा के लिए 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से नर्सिंग, फार्मेसी, चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक, ऑप्टोमेट्री और रेडियो इमेजिंग टेक्नॉलोजी के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री। 2. मान्यता प्राप्त संस्थान अर्थात् यूजीसी/एआईसीटीई/आईएनसी/ फार्मेसी काउंसिल से मान्यताप्राप्त संस्थान से उपर्युक्त 1 में उल्लिखित किसी क्षेत्र में पीएचडी। 3. संबंधित सांविधिक परिषद में पंजीकृत होना चाहिए। अनुभव 20 (बीस) वर्ष शिक्षण / अनुसंधान अनुभव जिसमें से उपर्युक्त किसी क्षेत्र में पीएचडी के पश्चात मान्यताप्राप्त संस्थान में 15 (पंद्रह) वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वांछनीय प्रशासनिक अनुभव रखने वाले को वरीयता दी जाएगी।
8.	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होगी।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि	कोई परिवीक्षा नहीं। हालांकि सीधी भर्ती के मामले में यह एक वर्ष की होगी।
10.	भर्ती का पद्धति: क्या सीधी भर्ती होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा / सीधी भर्ती सहित)
11.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	प्रतिनियुक्ति / अल्पावधि संविदा द्वारा भर्ती के मामले में, पदधारी की वेतन लेवल <u>13 में</u> 3 वर्ष की अर्हक सेवा होनी चाहिए और उपर्युक्त कॉलम 7 में यथा-निर्धारित शैक्षिक अर्हता व अनुभव होना चाहिए।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	शासी परिषद द्वारा गठित खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर शासी परिषद के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाए।
13.	भर्ती के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	लागू नहीं।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health & Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2020

No. U-12026/03/2015/NE.—In exercise of the powers conferred by the provisio to Article 309 of the Constitution and in partial supersession of the Notification No. A.12078/I/97-RPNTI/20 dated 6th February, 1997 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules for relgulating the method of recruitment to the post of Director, Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences (RIPANS), Aizawl, Mizoram, an Autonomous Institute, under the Ministry of Health & Family Welfare, namely:-

- 1. **Short tile and commencement**.- (1) These rules may be called the Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences (RIPANS), General Central Service Group 'A' post of Director, Regional Institute of Paramedical & Nursing, Recruitment Rules, 2020.
 - (2) They shall come tinto force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of the Posts, classification and level in pay matrix.** The number of said post, classification, and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.-**The method of recruitment, age limit, qualififations and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.
- 4. **Disqualification.-** No person.-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contacted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessalry or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons or posts
- 6. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Persons with Disabilities, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

GAYATRI MISHRA, Jt. Secy.

SCHEDULE Recruitment Rules for the post of Director, Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences (RIPANS), Aizawl

1.	Name of Post	Director
2.	Number of Post	01 (One) 2020
3.	Classification	General Central Service Group 'A' Post
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Level 14 in the Pay Matrix as per 7 th CPC+ Allowances as admissible. (Pre-revised Pay Scale PB-4 Rs. 37400—67000 GP Rs. 10000/-)
5.	Whether Selection Post or Non Selection Post	Selection
6.	Age limit	Upper age limit of 60 years of age
		(Retirement age is 65 years)
7.	Educational and other qualification required	FOR MEDICAL CANDIDATES 1. A medical qualification included in Schedule I and II or Part II of the third schedule of the Indian Medical Council Act 1956. (Persons possessing qualifications included in Part – II of the third schedule should also fulfill the conditions specified in sub-section (3) of Section 13 of the Act. 2. Post Graduate Medical qualification e.g.MD/MS/Mch/DM or a recognized qualification equivalent thereto OR Post Graduate Diploma e.g. DPH/DMRD/DCP or

		aguivalent Qualification thereto
		equivalent Qualification thereto.
		3. Must be registered with Central/ State Medical Council.
		<u>EXPERIENCE</u>
		Minimum Teaching/ Research Experience of 20 (Twenty)
		years out of which 15 (fifteen) years should be in a recognized
		institute after Post Graduation.
		FOR NON-MEDICAL
		1. Master's Degree in the field of Nursing, Pharmacy, Medical Laboratory Technology, Optometry and Radio Imaging Technology from a recognised University/ Institute.
		2. PhD in any of the filed mentioned at 1 above from recognised institute i.e. recognized by UGC/AICTE/INC/ Pharmacy Council.
		3. Must be registered with concerned Statutory Council.
		EXPERIENCE
		20 (twenty) years teaching/research experience out of which 15 (fifteen) years should be in a recognized Institute after Ph.D in any of the above fields
		DESIRABLE.
		Incumbent having Administrative experience will be given preference.
8	Whether age and educational	Not Applicable
	qualification prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees	
9.	Period of Probation	No Probation. However in case of direct recruits it will be
9.	1 criod of 1 fooduloif	one year
10	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	By deputation (including short term contract/ direct recruitment)
11.	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	In case of recruitment by Deputation/Short Term Contract, the incumbent having 3 years qualifying service in Pay Level 13 and having educational qualification and experience as prescribed at Column 7 above.
12	If a Departmental Promotion Committee exist what is its composition	"To be appointed by President of the Board of Governors on the basis of recommendations of the Search-cum-Selection Committee constituted by Board of Governors.
13	Circumstances in which UPSC to be consultant in making recruitment	Not Applicable